



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

(राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का संघटक महाविद्यालय)
सुनेल रोड, झालरापाटन, जिला-झालावाड़, राजस्थान-326023
ई-मेल: principalgeci@gmail.com; वेबसाइट: www.geci.ac.in



Ref. No.GECJ/2026-27/ 218.

Date: 17.07.2026

कार्यालय आदेश

सत्र 2026-27 में छात्रावास शुल्क

S. no.	B. Tech Year	Fees	Date of Fee Deposition	Late Fees Rs. 500 /-	Late Fees With Penalty Rs. 1000/-
1.	II-Year	22800/-	01.08.2026 to 14.08.2026	17.08.2026 to 22.08.2026	24.08.2026 to 31.08.2026
2.	III-Year	22800/-	17.07.2026 to 31.07.2026	01.08.2026 to 07.08.2026	10.08.2026 to 14.08.2026
3	IV- Year	22800/-	17.07.2026 to 31.07.2026	01.08.2026 to 07.08.2026	10.08.2026 to 14.08.2026

- विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट **Principal Govt.Engineering College Jhalawar** के नाम बनवाना है साथ ही प्रोक्टर कार्यालय से छात्रावास का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके, वार्डन की आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृति के पश्चात लेखाशाखा में जमा करानी होगी ।
- छात्रावास शुल्क में मैस चार्जज सम्मिलित नहीं है।
- विद्यार्थी जो मानसिक या शारिरिक बीमारी से ग्रस्त है, छात्रावास में प्रवेश लेना वर्जित है। विद्यार्थी बीमारी को छिपा कर छात्रावास में प्रवेश लेता है और महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञात होने पर तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यार्थी अपने सामान जैसे लेपटॉप, मोबाइल, धन राशि, एटीएम कार्ड, केलकुलेटर इत्यादि की सुरक्षा स्वयं की होगी। छात्रावास से चोरी या गायब हो जाने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- यह आवश्यक/अनिवार्य नहीं है कि वर्तमान सत्र में रह रहे विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर/सत्र में छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।

6. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पत्ती को नुकसान पहुंचाता है साथ ही बिजली उपकरणों (जैसे हीटर ,आयरन प्रेस और कुलर) का उपयोग करते हुये पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के साथ आर्थिक दण्ड की भी कार्यवाही की जायेगी।

7. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में छात्रावास प्रवेश रद्द करने के लिये निवेदन करता है तो कॉशनमनी के अतिरिक्त किसी भी तरह की फीस महाविद्यालय द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।

8 लेखाशाखा को निर्देशित किया जाता है कि वे महाविद्यालय के आदेश क्रमांक GECJ/17-18/325 दिनांक 12.09.17 के अनुसार छात्रावास (छात्र एवं कन्या छात्रावास) में निवासित विद्यार्थी यदि चिकित्सा, सुविधा हेतु महाविद्यालय के वाहन से रात्रि में चिकित्सालय जाता है तो वह विद्यार्थी अगले दिन लेखाशाखा में मय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित राशि नगद लेखाशाखा में जमा करवायेगा।

f. 17.7.26
प्राचार्य

प्रतिलिपि:—

- 1 कुलसचिव
- 2 वार्डन ,छात्र व कन्या छात्रावास
- 3 प्रभारी लेखा/AAO- II लेखा शाखा को प्रेषित कर लेख है कि छात्रावास कार्यालय से स्वीकृत फार्म की ही फीस जमा करे।
- 4 प्रभारी वेबसाइट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को महाविद्यालय की वेब साइट संधारित कर सुचना भिजवाये।
- 5 निजी सहायक ,प्राचार्य
- 6 नोटिस बोर्ड

f. 17.07.26
प्राचार्य